भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2490
10 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

जीपीएस और मछुआरों का कल्याण

2490. कु. सुधा आर.:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) जीपीएस उपकरणों से सुसज्जित मछली पकड़ने वाली नौकाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) मछुआरों के लिए उपलब्ध ईंधन और अन्य राजसहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाओं के निकट मछली पकड़ने के क्रियाकलापों में कार्यरत मछुआरों के लिए कोई केंद्रीय निधि या संभार तंत्र और सुरक्षा सहायता दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अन्य देशों द्वारा मछली पकड़ने वाले पोतों को निरुद्ध किए जाने या नष्ट किए जाने पर उनकी लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई केंद्रीय योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) मुछुआरों के कल्याण के लिए ऐसे उपायों का ब्यौरा क्या है जिनका लाभ मइलादुथुराई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मछुआरों द्वारा प्राप्त किया गया है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): मत्स्यपालन विभाग**,** मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार ने मछुआरों के लिए सुरक्षा किट के प्रावधान के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत फंड निर्धारित की है जिसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), लाइफ-जैकेट, अन्य जीवन रक्षक उपकरण, सर्च एंड रेस्क्यू बीकन के साथ साथ डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर (डीएटी), ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एआईएस), नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन (एनएवीआईसी) आदि शामिल हैं। पीएमएमएसवाई के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मछुआरों को सुरक्षा किट प्रदान करने के लिए अब तक 1678.36 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मछुआरों को प्रदान की गई सुरक्षा किटों का राज्यवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि देश में डीजल की कीमतें 19.10.2014 से बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तब से, पब्लिक सैक्टर की ऑइल मार्केटिंग कम्पनी (ओएमसी) डीजल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। इसके साथ ही, विभिन्न तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मछुआरा समुदायों के लिए डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने हेतु सब्सिडी/कर छूट या प्रतिपूर्ति प्रदान करने के अलग-अलग व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया है कि 1 मार्च, 2020 से प्रभावी पीडीएस केरोसिन की रीटेल विक्रय मूल्य अखिल भारतीय स्तर पर निल अंडर-रिकवरी स्तर पर बनाए रखी जा रही है।

(ग): प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत, मत्स्यपालन विभाग ने निगरानी, नियंत्रण और निरीक्षण के लिए मरीन फिशिंग वेसल्स पर ट्रांसपोंडरों को लगाने सहित वेसल्स कम्यूनकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम के नेशनल रोलआउट योजना पर एक परियोजना को स्वीकृति दी है। नेशनल रोलआउट योजना के तहत 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेकेनाईज्ड और मोटराइज्ड फिशिंग वेसल्स पर 1,00,000 ट्रांसपोंडर लगाने की परिकल्पना की गई है, जिस पर 364 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) का सहयोग मिलेगा। केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 फंडिंग पैटर्न और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय सहायता के साथ मछुआरों को ट्रांसपोंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मछली पकड़ते समय, यदि मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) को पार करते हैं,तो उन्हें अनजाने में आईएमबीएल का उल्लंघन करने से बचने के लिए अलर्ट दिया जाएगा।

(घ): वर्तमान में, विदेशी देशों द्वारा फिशिंग वेसल्स को रोके जाने या नष्ट किए जाने की स्थिति में उनकी लागत की प्रतिपूर्ति के लिए कोई मौजूदा केंद्रीय योजना उपलब्ध नहीं है। तथापि, पीएमएमएसवाई के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पारंपरिक मछुआरों के लिए फिशिंग बोट (प्रतिस्थापन) और नेट उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएमएमएसवाई के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पारंपरिक मछुआरों के लिए 6706 फिशिंग बोट (प्रतिस्थापन) और नेट उपलब्ध कराने के लिए अब तक 25241.90 लाख रुपए की निधि स्वीकृत की गई है।

(ड.): तमिलनाडु सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2022-2025 के दौरान पीएमएमएसवाई के तहत मयिलादुथुराई संसदीय क्षेत्र के 32,207 मछुआरों और मत्स्य किसानों ने योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 2156.32 लाख रुपये का लाभ उठाया जिसमें मछली पकड़ने पर प्रतिबंध/मंद की अवधि के दौरान सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण सहायता, समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस), कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट का निर्माण, तालाबों का निर्माण और इसकी इनपुट सब्सिडी शामिल है।

*****

अनुबंध

पीएमएमएसवाई की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पारंपरिक और मोटराइज्ड फिशिंग वेसल्स के मछुआरों के लिए सुरक्षा किट प्रदान करने हेतु वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण (06-12-2024 तक)

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	**राज्यों का नाम**	**(2020-25)**		
		वास्तविक (सं.)	**परियोजना लागत**	**भारत सरकार का अंश**
1	कर्नाटक	781	324.36	165.6
2	लक्षद्वीप	300	300	180
3	महाराष्ट्र	3	3	0.84
4	पुदुच्चेरी	940	940	399
5	तमिलनाडु	100	100	24
6	पश्चिम बंगाल	11	11	3.6
कुल		**2135**	**1678.36**	**773.04**

*****